

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सूचना

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें

राज्य परिवहन प्राधिकार से प्राप्त किये जाने वाले परमिट का परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि अब बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। शुल्क की राशि एन0 ई0 एफ0 टी0(नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से किसी भी बैंक में जमा किया जा सकता है ! इसके लिये एन0 ई0 एफ0 टी0 पर्ची पर निम्न सूचनाये अंकित करनी है :-

IFSC : CORP0000550  
ACCOUNT NO. : 055001601000152  
NAME OF ACCOUNT : STATE TRANSPORT COMMISSIONER  
TYPE OF ACCOUNT : CURRENT ACCOUNT  
BANK : CORPORATION BANK  
BRANCH : BORING CANAL ROAD, PATNA

2. बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर अब परमिट संबंधी आवेदन के साथ बैंक से प्राप्त एन0 ई0 एफ0 टी0 द्वारा जमा राशि का प्राप्ति रसीद संलग्न करना है तथा अलग कागज पर निम्न सूचनाये भी देनी है :-

(i) वाहन संख्या :-

(ii) वाहन स्वामी का नाम :-

(iii) जमा की गई राशि :-

(iv) बैंक का नाम जहाँ राशि जमा की गई है :-

(v) बैंक के शाखा का पता (जिस बैंक में राशि जमा की गई है उसका पता) :-

*29/5/13*  
प्रधान सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।